**राजस्थान सरकार**
**वित्त (बीमा) विभाग**

क्रमांकः प.4 (34)वित्त/बीमा/ 2025 लूज –II                    जयपुर, दिनांकः 12.06.2026

**आदेश**

विषय : परिवीक्षकाल के दौरान राज्य कर्मचारियों को Insurance Cover उपलब्ध कराये जाने बाबत् ।

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 8 के उप नियम 2 के अनुसार राज्य कर्मचारियों के लिए बीमा उस वित्तीय वर्ष से जिसमें वह व्यक्ति नियुक्त हुआ है, के मार्च माह से किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार राज्य सरकार के परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को भी राज्य बीमा का कवरेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची –IV के बिन्दु संख्या 3 के संबंध में परिवीक्षाधीन राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद आने वाले प्रथम मार्च माह से बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु उनके पारिश्रमिक में से आवश्यक रूप से 800/– रूपये (फिक्सड) की दर से प्रतिमाह राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती की जायेगी, जो दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी होगी।

उक्त क्रम में माह मार्च देय अप्रैल, 2026 के वेतन बिल अथवा एरियर के माध्यम से या SIPF Portal 3.0 पर उपलब्ध डिपोजिट यूटिलिटी के माध्यम से राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती करायी जा सकेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
12-6-26
(डॉ. टीना सोनी)
शासन सचिव, वित्त (व्यय)

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदया, (वित्त), राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम–II) विभाग, जयपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर।
12. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपिलेट ट्रीब्यूनल, जयपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(धनलाल शेरावत) 12.6.26
संयुक्त शासन सचिव